बिहार सरकार
गृह विभाग।

अधिसूचना

पटना—15, दिनांक 11-12-14

संख्या—6390 /भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग नियमावली, 2011 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।— (1) यह नियमावली "बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014" कही जा सकती है।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

   (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग नियमावली, 2011 के नियम 5(2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

> *"(2) वैसे आकस्मिक भृत्य, जो नियत पारिश्रमिक किसी रूप में प्राप्त कर रहें हैं अथवा नियत वेतनमान् के मूल प्रक्रम का न्यूनतम स्थिर वेतन प्राप्त कर रहे हैं और दिनांक 11.12.2006 या उससे पूर्व कार्य पर जिस किसी भी पदनाम से कार्य पर रखे गये हों, उन्हें नाई और सफाई मजदूर के स्वीकृत पदों के विरूद्ध विचारित करते हुए उनके नियमितीकरण के लिए नियुक्ति का एक अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात शेष बचे पद एवं इस प्रकार नियुक्त नाई/सफाई मजदूर/आकस्मिक भृत्य द्वारा रिक्त किये गये पदों पर बाह्य स्त्रोत से सरकार द्वारा समय—समय पर विहित प्रक्रिया एवं नियत विहित वेतन/पारिश्रमिक पर सेवा ली जायेगी। साथ ही वैसे आकस्मिक भृत्यों को इस आशय का शपथ—पत्र भी देना होगा कि उन्हें सफाई मजदूर के रूप में सेवा नियमितीकरण किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में वे अन्य सदृश्य कार्य अथवा पद, यथा—चालक, बिजली मिस्त्री आदि पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे।"*

3. बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग नियमावली, 2011 के नियम 6 (iv), 7 (क) (1) और 7 (क) (2) में प्रयुक्त शब्द "नाई/सफाई मजदूरों" शब्द "नाई/सफाई मजदूर/आकस्मिक **भृत्यों**" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

11/12/14

(सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव)
सरकार के अपर सचिव—
सह—निदेशक (प्रशासन)।

ज्ञापांकः—कारा/स्था० (वि०)—02—51/2014—6390 पटना—15, दिनांक 11/12/14

प्रतिलिपिः— गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 300(तीन सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजे जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

11/12/14

सरकार के अपर सचिव—
सह—निदेशक (प्रशासन)।

ज्ञापांकः—कारा/स्था० (वि०)—02—51/2014—6370 पटना—15, दिनांक 11/12/14

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/12/14

सरकार के अपर सचिव—
सह—निदेशक (प्रशासन)।